516281/2021/ESZ

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092021-229514
CG-DL-E-09092021-229514

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3348] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 9, 2021/भाद्र 18, 1943
No. 3348] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 9, 2021/BHADRA 18, 1943

India Code

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2021

का.आ. 3653(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) और उपधारा (3) के खंड (v) और (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का.आ.संख्या 1198 (अ), तारीख 12 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित भारत के राजपत्र, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण के पैरा 5 के, सारणी में, उप-पैरा (ii), (vi) और (vii) में, "मंडला अथवा बालाघाट" शब्दों के स्थान पर " मंडला और बालाघाट " शब्द रखे जाएंगे;

उक्त अधिसूचना के हिन्दी संस्करण के पैरा 4 के उप-पैरा 1(क) में, "नए खनन" शब्दों के स्थान पर "नए और विद्यमान खनन" शब्द रखे जाएंगे;

[एफ. सं. 25/91/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल अधिसूचना द्वारा तारीख 12 मार्च, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में संख्या का.आ. 1198 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2021

S.O. 3653(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 1198 (E), dated the 12th March, 2021 namely:–

In the said notification in the English version, in paragraph 5, in the Table, against serial numbers (ii), (vi) and (vii), for the words "Mandla or Balaghat", the words "Mandla and Balaghat" shall be substituted.

[F. No. 25/91/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1198 (E), dated the 12th March, 2021.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.